भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5673
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गैर-संचारी रोगों के कारण मौतों के बढ़ते मामले

†5673. श्री राव राजेन्द्र सिंहः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में गैर-संचारी रोगों के कारण अप्राकृतिक मौतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के लिए निधि का कोई समर्पित हिस्सा आवंटित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार के पास एनपी-एनसीडी के दायरे में कार्यरत एनसीडी प्रकोष्ठ और क्लीनिक, आपातकालीन हृदय देखभाल के लिए हृदय देखभाल इकाइयों और कैंसर देखभाल के लिए 64 डे-केयर केंद्रों की संख्या के बारे में कोई डेटा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत देश भर के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए अवसंरचना सुदृढीकरण, मानव संसाधन विकास, जांच, शीघ्र निदान, रेफरल, उपचार और स्वास्थ्य संवर्धन पर अभिकेंद्रित है।

राज्यों को एनसीडी फ्लेक्सी-पूल के तहत संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के माध्यम से निधियाँ प्रदान की जा रही है, जिसमें केंद्र और राज्य के अंशदान का अनुपात 60:40 है (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को छोड़कर, जहां यह अनुपात 90:10 है)। इस कार्यक्रम के तहत 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, 372 जिला डे केयर सेंटर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 6410 एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं। इस कार्यक्रम के तहत विगत पांच वर्षों के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का विवरण अनुलग्नक में है।

अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान एनएचएम के अंतर्गत एनपी-एनसीडी के लिए राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना अनुमोदन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
		एसपीआईपी अनुमोदन	एसपीआईपी अनुमोदन	एसपीआईपी अनुमोदन	एसपीआईपी अनुमोदन	एसपीआईपी अनुमोदन
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	52.00	13.89	56.96	52.46	56.18
2	आंध्र प्रदेश	359.83	1616.18	4672.54	6078.76	5954.08
3	अरुणाचल प्रदेश	347.51	381.58	146.45	622.95	779.13
4	असम	2067.53	568.87	1258.57	1306.81	1222.93
5	बिहार	792.39	1977.74	956.30	8298.99	7163.81
6	चंडीगढ़	2.80	1.30	12.84	4.15	3.90
7	छत्तीसगढ़	606.34	433.45	1619.06	3506.32	2974.64
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	51.18	14.18	7.05	57.55	57.99
9	दिल्ली	145.88	128.10	191.15	164.70	335.41
10	गोवा	85.33	50.53	168.97	153.05	145.25
11	गुजरात	518.38	709.39	2076.80	4071.68	3778.31
12	हरियाणा	320.86	226.42	476.86	533.41	406.56
13	हिमाचल प्रदेश	158.00	45.00	286.28	1361.00	1416.50
14	जम्मू और कश्मीर	595.67	1253.80	805.68	792.00	882.00
15	झारखंड	593.78	535.24	2620.26	1955.15	1958.53
16	कर्नाटक	1148.79	675.94	4097.12	4409.74	2452.35
17	केरल	1508.70	1092.82	4250.92	7662.02	5249.09
18	लद्दाख	-	0.00	104.45	273.36	166.43
19	लक्षद्वीप	3.48	15.55	24.72	21.21	22.28
20	मध्य प्रदेश	530.77	937.98	1402.09	4753.73	2090.26
21	महाराष्ट्र	3062.36	747.47	976.63	5311.21	5147.52
22	मणिपुर	199.92	293.66	623.31	722.21	724.30
23	मेघालय	52.48	46.55	416.03	407.60	370.59
24	मिजोरम	54.48	58.88	332.26	176.24	176.24
25	नागालैंड	206.04	137.10	305.43	312.26	310.88
26	ओडिशा	661.80	881.79	2158.89	7442.69	6067.91
27	पुदुचेरी	24.15	23.72	126.82	113.10	135.94
28	पंजाब	184.45	169.79	705.42	1405.93	1796.11
29	राजस्थान	2903.20	1227.09	4603.49	23542.92	23542.92
30	सिक्किम	72.31	53.06	156.78	117.04	85.55
31	तमिलनाडु	2006.42	798.77	4004.70	8466.91	10031.16
32	तेलंगाना	766.04	490.70	3139.44	5272.72	5145.00
33	त्रिपुरा	215.13	131.33	383.86	496.53	578.92
34	उत्तर प्रदेश	7602.17	6654.70	13196.18	13607.82	18998.70
35	उत्तराखंड	331.74	144.80	597.75	1127.33	1167.37
36	पश्चिम बंगाल	892.09	1399.34	3697.33	3868.71	5428.71

*****